N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0052 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/03/2025 17:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 05/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/03/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/03/2025 17:40:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** LABHURAM PARPJAPATS/O BHAIRARAM R/OKANVARJI KA KHEJRI BAPINI, ROAD TAPOO, TEHSIL OSIYA JILA JODHPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** KALURAM
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARCHANDRAM
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1983 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON KANWAR JI KI KHEJRI TAPOO, OSIAN, OSIAN, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON KANWAR JI KI KHEJRI TAPOO, OSIAN, OSIAN, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RISHIKESH MEENA		पिता:GHASIDIYARAM MEENA	1. GRAM POST SHEKHPURA,SAPOTARA,KARAULI,RAJASTHAN,INDIA
2	KAILASH PRAJAPAT		पिता:LABHURAM	1. KANVARJI KI KHEJRI TAPOO,OSIAN,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 5,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे , श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर विषयः- रिश्वत मागने वाले अधिकारी के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय जी, मैं कालुराम पुत्र हरचंदराम जाति विश्नोई उम्र 42 वर्ष पैसा खेती निवासी गांव तापु कंवरजी कि खेजीडी़ तसिल औसिया जिला जोधपुर का रहने वाला हूं मेरि एक टूयुबेल गाव तापु की सरहद में आई हुई है जिस पर श्री फेज विधुत कनेकशन ले रखा ह जिस पर श्री फेज ट्रान्सफारमर्र ले रखा है। मेरी ट्रम्वेल पर एक सिगल फेज ट्रान्फारम अतिरिकत रखा हुआ है जिसे मैं काम नहीं लेता हूं मगर आज से करिब छः सात दिन पुर्व मेरी टूवेल पर श्री ऋसिकेश मीना जे ई एन वापिनि आया मेरे टुबेल पर अतिरिक्त पडे़ ट्रान्सर्फामर का फोटो खीचकर सिट भरने का कहा मेरे द्वारा ट्रान्सर्फामर काम में नही लेने एव शीट नहीं भरने कि विनती करने पर जे ई एन ने शीट नहीं भरने कि ऐवज में 50,000 रूपये की माग कि मेरे द्वारा राशि कम करने का निवेदन करने पर 20,000 लेने के लिए सहमत हुआ तथा मेरे द्वारा ज्यादा विनती करने पर 10,000 रू लेने के लिए सहमत हुआ। मैं श्री ऋशीकेश मिना जे ई एन को रिश्वत नहीं दे कर उन्हें रिश्वत लेते हूए रगें हाथो पकड़वाकर कानुनि कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरे जे ई एन से कोई दुश्मनी या लेने देन बकाया नहीं है कानुनी कार्यवाई करावे भविदिये एसडी/-कालुराम कालुराम पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई उम्र 42 वर्ष नीवासी गांव तापु कंवर जी कि खेजड़ी तसिल औसिया जीला जोधपुर मोः [redacted] एस.डी. सुमित सैन एस.डी मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस एस.डी. ओमप्रकाश चौधरी 05.05.2025 एस.डी. विवेक दायमा 05.05.2025 कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेषल यूनिट जोधपुर दिनांक 03.03.2025 वक्त 11.30 ए. एम. इस समय कार्यालय हाजा में मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो स्पेश्ल यूनिट जोधपुर के समक्ष परिवादी श्री कालूराम पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई उम्र 42 वर्ष पैशा खेती निवासी गांव तापु कंवरजी कि खेजड़ी तहसील औसिया जिला जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय़ की पेश की कि मैं कालुराम पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई उम्र 42 वर्ष पैसा खेती निवासी गांव तापु कवरजी कि खेजीड़ी तहसील औसिया जिला जोधपुर का रहने वाला हू मेरी एक ट्युबेल गाव तापु की सरहद में आई हुई है जिस पर श्रीफेस ट्रान्सफारमर ले रखा है मेरी टूयुबेल पर एक सिगल फेज ट्रास्फर अतिरिक्त रखा हुआ है जिसे मै काम नही लेता हॅू मगर आज से करिब छः सात दिन पूर्व मेरी टूबेल पर श्री ऋशिकेष मीना जे ई एन वापिनि आया व मेरे टूबेल पर अतिरिक्त पड़े ट्रान्सर्फामर का फोटो खीचकर सिट भरने का कहा मेरे द्वारा ट्रान्सर्फामर काम में शीट लेने एव शीट नही भरने कि विनती करने पर जे ई एन ने शीट नही भरने कि ऐवज में 50,000 रूपये की माग कि मेरे राशि कम करने का निवेदन करने पर 20,000 लेने के लिए सहमत हुआ तथा मेरे द्वारा ज्यादा विनती करने पर 10,000 रू लेने के लिए सहमत हूआ। मै श्री ऋशिकेष मीना जे ई एन को रिश्वत नही देकर उन्हे रिश्वत लेते हूए रंगे हाथो पकड़वाकर कानुनी कार्यवाही करवाना चाहता हू मेरी जे ई एन से कोई दुशमनी या लेन देन बकाया नही है कानुनी कार्यवाही करावे वगैरा परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया साथ ही परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त रिपोर्ट मेरी स्वंय की हस्तलिखित है। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट में अकित तथ्य एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिगर राजकार्य में व्यस्त होने से श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो स्पेश्ल यूनिट जोधपुर को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री कालूराम का परिचय श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस से करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया। वक्त 11-45 ए.एम. पर मन् मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो स्पेश्ल यूनिट जोधपुर मय परिवादी श्री कालूराम, परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात के अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया व परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया व परिवादी से उसकी रिपोर्ट में अंकित तथ्य के संबंध में आवश्यक पुछताछ की गई। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट में अकित तथ्यो से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लेकर श्री गणेश् कुमार कानि. 219 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री गणेश् कुमार कानि. 219 से परिवादी श्री कालूराम का आपसी परिचय करवाकर

कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकॉर्डर अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री कालुराम एवं श्री गणेश् कुमार कानि. को कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकॉर्डर को सचालन की विधि की समझाईस की जाकर परिवादी व श्री गणेश् कुमार कानि. के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। वक्त 12-05 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्ड में नया मेमोरी कार्ड डाल कर उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर श्री गणेश् कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री कालूराम व आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा जे ई एन के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री कालूराम व श्री गणेश् कुमार कानि. को आवश्यक हिदायत देकर गांव कंवरजी कि खेजड़ी तापु तहसील औसिया जिला जोधपुर की तरफ रवाना किया गया। वक्त 09-00 पी.एम. पर श्री गणेषकुमार कानि. रिश्वती राशि मांग सत्यापन का गया हुआ पुनः कार्यालय उपस्थित आया एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर स्विच ऑफ शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री कालूराम कार्यालय से रवाना होकर गांव तापु कंवरजी कि खेजड़ी में स्थित आरोपी के किराये के मकान के पास पहुचे जहां पर मैने परिवादी को आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा की अपने किराये के मकान में उपस्थिति की गोपनीय रूप से मालुमात करने हेतु कहा तो परिवादी ने गोपनीय रूप से मालुमात कर बताया कि आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा अपने किराये के मकान में शाम के समय आयेगा। जिस पर मैं व परिवादी आरोपी के किराये के मकान के आस-पास गोपनिय रूप से आरोपी के आने के ईन्तजार में मुकिम हुए। काफी समय बाद परिवादी को पुनः आरोपी की उपस्थिति गोपनीय रूप से मालुमात करने हेतु कहा तो परिवादी ने गोपनीय रूप से मालुमात कर बताया कि आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा बाहर गये हुए है आज नही मिलेगे कल दिनांक 04.03.2025 को अपने किराये के मकान में मिल जायेगे। जिस पर उक्त गांव में रूकने की उचित व्यवस्था नही होने एवं गोपनियता भंग होने की संभावना होने से परिवादी को कल दिनांक 04.03.2025 को इसी स्थान पर मिलने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत कर परिवादी को वही पर छोड़कर उपस्थित आया हूँ। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अलमारी में रखा गया व श्री गणेश् कुमार कानि. को कल दिनांक 04.03.2025 को मेरे से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर रिष्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु गांव तापु कंवरजी की खेजड़ी जाने की हिदायत कर हालात उच्चाधिकारीये को निवेदन किये गये। दिनांक 04.03.2025 वक्त 11-20 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर उसमें नया मेमोरी कार्ड डाल कर उक्त डिजिटल वॉयर रिकार्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री गणेष कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री कालूराम से सम्पर्क कर परिवादी एवं आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा के मध्य रिष्वति राषि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु श्री गणेष कुमार कानि. को आवश्यक हिदायत देकर गांव तापु कंवरजी कि खेजड़ी तहसील औसिया जिला जोधपुर की तरफ रवाना किया गया। वक्त 06-02 पी.एम. पर मन् मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस को श्री गणेश् कुमार कानि. 219 ने अपने मोबाईल फोन के वाट्सअप नम्बर से मेरे मोबाईल के वाट्सअप नम्बर पर कॉल कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर जरिये बस गांव तापु कंवरजी कि खेजड़ी पहुंचा जहां पर पूर्व निर्धरित गोपनीय स्थान पर परिवादी श्री कालूराम उपस्थित मिला। जिस पर मैने परिवादी श्री कालूराम से आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा की उपस्थिती के सम्बन्ध में पुछा तो परिवादी श्री कालुराम ने सूत्रों से गोपनीय रूप से मालुम कर मुझे बताया कि श्री ऋशिकेष मीणा अपने किराये के मकान पर शाम करीबन 05 बजे आयेगे। जिस पर मैं व परिवादी आरोपी के किराये के मकान के आस-पास गोपनीय रूप से आरोपी के आने के ईन्तजार में मुकिम हुए। काफी समय बाद परिवादी को पुनः आरोपी की उपस्थिति गोपनीय रूप से मालुमात करने हेतु कहा तो परिवादी ने गोपनीय रूप से मालुमात कर मुझे बताया कि आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा अपने किराये के मकान पर आ गये है। जिस पर मैने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी श्री कालुराम के पहने हुए कमीज के सामने की उपर की बांई जेब में डालकर परिवादी को आरेपी के किराये के मकान की तरफ रवाना कर मैं वही आस-पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री कालुराम मेरे पास उपस्थित आया जिस पर मैने डिजिटल वार्यस रिकॉर्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मेरे को बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा के किराये के मकान में गया जहां पर मुझे श्री ऋशिकेष मीणा अपने कमरे में मिले जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता श्री ऋशिकेष मीणा ने मेरी ट्युबवेल पर अतिरिक्त पड़े ट्रान्सफार्मर की शिट नही भरने की एवज में 5,000/-रूपये रिश्वती राशि की मांग की तथा उक्त राशि 5,000/रूपये मुझे कल दिनांक 05.03.2025 को लेकर आने हेतु कहा एवं उक्त राशि श्री कैलाश् प्रजापत को देने हेतु कहा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री गणेष कुमार कानि. को निर्देशित किया कि परिवादी श्री कालूराम को गोपनीयता बरतने एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 05.03.2025 को 09.30.ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर वही पर छोड़कर एवं गणेष कुमार कानि. कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। वक्त 06-10 पी.एम. पर कल दिनांक 05.03.2024 को अग्रिम गोपनीय कार्यवाही प्रस्तावित हाने के कारण दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्री कालुराम कानि. को हिदायत दी गई की सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर जाकर कल दिनांक 05.03.2025 को 09.30 ए.एम पर दो स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय में भिजवाने हेतु पाबन्द कर आने हेतु श्रीमान

अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के नाम जारी कर श्री कालुराम कानि. को तहरीर सुपुर्द कर रवाना कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर की तरफ किया गया। वक्त 06-30 पी.एम. पर श्री कालुराम कानि. श्रीमान अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर से दो स्वतंत्र गवाहान श्री सुमित सैन, कनिश्ठ सहायक व श्री विवेक दायमा, वरिश्ठ सहायक नगर खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर को कल दिनांक 05.03.2025 को 09.30 ए.एम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर उपस्थित आया। वक्त 08-30 पी.एम. पर श्री गणेश् कुमार कानि. 219 उपस्थित कार्यालय हाजा आया एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर स्विच ऑफ शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि परिवादी श्री कालूराम श्री ऋशिकेष मीणा से मिला एवं अपनी शिट नहीं भरने की एवज में वार्ता की एवं वार्ता के दौरान श्री ऋशिकेष मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिश्ठ अभियंता शीट नहीं भरने की एवज में 5000 रूपये की मांग की जो वार्ता डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त कार्यालय को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर उसमें रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो कानि. गणेश् कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होकर रिष्वती राषि 5000 रूपये मांग करने की पुश्टि हुई। दिनांक 05.03.2025 वक्त 09-40 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री कालूराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं मन् मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस को बताया की रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/रूपये में साथ लेकर आया हू। वक्त 09ः45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर से दो कार्मिक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय उक्त दोनों कार्मिको को दिया जाकर उनका परिचय बारी-बारी से प्राप्त किया तो कार्मिको ने अपना नाम श्री सुमित सैन पुत्र स्व. श्री राजू सैन जाति नाई उम्र 34 वर्श पेषा नौकरी निवासी सिटी पुलिस पंचमुखी बालाजी के पास वार्ड संख्या 30 उत्तर जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता नगर खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर मोबाईल नं. [redacted] एवं श्री विवेक दायमा पुत्र श्री गजेन्द्रसिह जाति खटीक उम्र 30 वर्ष निवासी कलाल कॉलोनी गली नम्बर 03 नागौरी गेट जोधपुर जिला वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता नगर खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर मोबाईल नं. [redacted] होना बताया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तवय से अवगत करवाकर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री कालूराम से दोनों कार्मिको का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कालूराम द्वारा पूर्व में प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को दोनो कार्मिको को पढकर सुनाई गई एवं पढवाई गई एवं दिनांक 04.03.2025 को परिवादी श्री कालूराम एवं आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा के मध्य हुई रिष्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है के मुख्य -मुख्य अंश सुनाये गये जिस पर उक्त दोनो कार्मिको द्वारा रिकॉर्ड वार्ता को सुनकर तथा शिकायत को पढकर परिवादी श्री कालूराम से उनके द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के बारे में पुछताछ कर तसल्ली करने के पश्चात उक्त टेप्प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक स्वीकृति दी तथा परिवादी द्वारा पेश शिकायत पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। वक्त 10-35 ए.एम. पर मन् मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुमित सैन, श्री विवेक दायमा परिवादी श्री कालूराम से आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री कालूराम ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान के मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 10 नोट कुल राशि 5,000/रूपये पेश किये। उक्त नोटां के नम्बर निम्नानुसार है 1. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 डीयू 304723 2. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 पीके 101627 3. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 एचवी 196359 4. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 एफ एस 132935 5. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 जीबी 789354 6. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 सीआर 775056 7. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 बीजी 754732 8. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 सीके 473662 9. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 एफ एल 053584 10. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 एच टी 731873 पर श्रीमती सुशिला महिला कानि. 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर फर्द पेशकशी मुर्तिब की गई। वक्त 11-35 ए.एम. पर मन् मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सुमित सैन, श्री विवेक दायमा परिवादी श्री कालूराम ब्यूरो जाब्ता श्री पदमपालसिह निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस., श्री अचलाराम हैड कानि. 67 श्री प्रकाश् कानि. 265, श्री कालूराम कानि. 246, श्री गणेश् कुमार कानि0 219 मय ट्रेप बॉक्स, मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर, दिनांक 04.03.2025 को परिवादी श्री कालूराम एवं आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से बाहर निकाल सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में साथ लेकर, श्री पदमपालसिह निरीक्षक पुलिस के, मन निरीक्षक पुलिस, दो निजी वाहन से एसीबी कार्यालय स्पेश्ल यूनिट जोधपुर से ग्राम तापु कंवरजी की खेजड़ी तहसील औसियां जिला जोधपुर की तरफ रवाना हुए। वक्त 12-55 पी.एम. पर रवाना सुदा मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ब्यूरो जाब्ता के हमराहियान जरिये निजी वाहनो मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप के ग्राम कंवरजी की खेजड़ी तापू के पास पहुचें जहां पर दोनों निजी

वाहनो को रोड के साईड में एक तरफ गोपनीय स्थान पर खडे करवाये जाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कालूराम से आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा की उपस्थिति के बारे मे गोपनीय रूप से पता करवाया गया तो परिवादी श्री कालूराम ने गोपनीय रूप से पता कर बताया कि आरोपी श्री ऋशिकष मीणा ग्राम तापु कंवरजी की खेजड़ी में स्थित अपने किराये के मकान पर षाम करीबन 06 बजे आयेगे। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर ही आरोपी के अपने किराये के मकान पर आने के इन्तजार में मुकिम हुए। वक्त 05-55 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कालूराम से आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा की उपस्थिति के बारे मे गोपनीय रुप से पुनः पता करवाया गया तो परिवादी श्री कालूराम ने गोपनीय रूप से पता कर बताया कि आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा ग्राम तापु कंवरजी कि खेजड़ी में स्थित अपने किराये के मकान पर आ गये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ब्यूरो जाब्ता के हमराहियान जरिये दोनों निजी वाहनो मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप इत्यादि के रवाना होकर ग्राम कंवरजी की खेजड़ी तापु पहुचें। वक्त 06ः:45 पी.एम. पर रवाना सुदा मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ब्यूरो जाब्ता के हमराहियान जरियेे निजी वाहनो मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप इत्यादि के ग्राम कंवरजी की खेजड़ी तापु में स्थित आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा के किराये के मकान के पास पहुचे जहा पर निजी वाहनो को सुरक्षित गोपनीय रूप से खड़े करवाकर परिवादी श्री कालूराम को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर श्री गणेश् कुमार कानि0 219 से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू करवा कर परिवादी श्री कालूराम को सुपर्द करवाकर परिवादी को पैदल ही आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा के किराये के मकान की तरफ रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस, मय हमराह श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान के निजी वाहन में बैठकर एवं शेष ब्यूरो जाब्ता को आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा के किराये के मकान के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते पोजिशन लेने हेतु निर्देशित किया, परिवादी श्री कालूराम के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। वक्त 07-45 पी.एम. पर रूबरू उपरोक्त मौतबिरान के परिवादी श्री कालूराम पुत्र हरचंदराम जाति विश्नोई निवासी कंवरजी की खेजड़ी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर ने पूर्व से निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस के पास गाड़ी में बैठे श्री पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस काल करने पर मन निरीक्षक पुलिस हमारा उपरोक्त दोनों स्वतंत्र मौतबिरान, श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस एवं ब्यूरो दल के श्री कैलाश प्रजापत पुत्र श्री लाभूराम के रहवासिय मकान कंवरजी की खेजड़ी बापीणी रोड़ तापू के अन्दर प्रवेश किया जहां पर उपस्थित परिवादी श्री कालूराम द्वारा सामने सीडियों पर खड़े एक लड़के की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री कैलाश प्रजापत है, जिन्होनें अभी-अभी श्री ऋषिकेश मीणा, कनिष्ठ अभियंता के कहेनुसार रिश्वती राशि 5000 रूपये लेकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेंट की साईड की बायीं जेब में रखे है। जिस पर परिवादी को पूर्व में दिया गया डीवीआर प्राप्त कर स्वीच आफ कर मन निरीक्षक पुलिस के अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री कैलाश प्रजापत ने अभी-अभी श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री घसीड्याराम मीणा जाति मीणा उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम पोस्ट सेकपुरा तहसील सपोटरा पुलिस थाना भुसावर जिला करौली हाल इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर के द्वारा कैलाश के रहवासीय मकान के उपर बने कमरे में मिलने पर उनके द्वारा मेरे ट्यूबवेल पर अतिरिक्त पड़े ट्रान्सफार्मर की शीट नहीं भरने की एवज में तय की रिश्वती राशि 5000 रूपये श्री कैलाश प्रजापत को देनंे का कहने पर कैलाश प्रजापत ने मन कालूराम को कमरे से बाहर लाकर ऋषिकेश मीण द्वारा तय की रिश्वती राशि 5000 रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेंट की साईड की बांयी जेब में रखी है। जिस पर श्री कैलाश प्रजापत को व परिवादी श्री कालूराम को साथ लेकर परिवादी के बताये अनुसार मकान की छत पर बने श्री ऋषिकेश मीणा के किराये के कमरे में पहुचां जहां पर एक चारपाई पर पंेट शर्ट पहने हुए व्यक्ति लेटा हुआ मिला जिसकी ओर परिवादी श्री कालूराम ने ईशारा कर बताया कि यही श्री ऋषिकेश मीणा कनिष्ठ अभियंता है, चारपाई पर लेटे व्यक्ति को बैठने का कहकर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान मन निरीक्षक पुलिस व समस्त हमरायान का परिचय देकर चारपाई पर बैठे व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री घसीड्याराम मीणा जाति मीणा उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम पोस्ट सेकपुरा तहसील सपोटरा पुलिस थाना भुसावर जिला करौली हाल इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड बाप हाल प्रतिनियुक्ति इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जाखण बापीणी जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर श्री ऋषिकेश मीणा को परिवादी श्री कालूराम की ओर ईशार कर उसे पहचानने व उससे कोई राशि प्राप्त करने या राशि किसी को दिलाने के बारे में पूछने पर श्री ऋषिकेश मीणा पहले चुप रहा तथा कुछ सोचकर बताया कि यह श्री कालूराम बिश्नोई निवासी तापू है जिन्हे मैं जानता हूं, मैनें इनसे कोई राशि प्राप्त नहीं की है, न ही कोई राशि के हाथ लगाया है। थोड़ी देर रूककर श्री ऋषिकेश मीणा ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले श्री कालूराम मेरे पास आया तथा अपनी ट्यूबवेल पर रखें अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर की शीट नहीं भरने की एवज में 5000 रूपये देनें की बात कही जिस पर मैनें उक्त राशि 5000 रूपये पास ही खड़े श्री कैलाश प्रजापत की ओर ईशारा कर राशि इन्हें देनें को कहा है। श्री कैलाश प्रजापत जो मेरे मकान मालिक श्री

लाभूराम जी के पुत्र है जिस पर मन निरीक्षक पुलिस एवं समस्त हमरायान का परिचय श्री कैलाश प्रजापत को देकर उनसे उनका पूरा परिचय पूछने पर कैलाश प्रजापत पुत्र श्री लाभूराम जाति प्रजापत उम्र 18 वर्ष पेशा अध्ययन निवासी कंवरजी की खेजड़ी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर होना बताया जिस पर कैलाश प्रजापत को परिवादी श्री कालूराम की ओर ईशारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हो तथा आपने अभी इनसे कोई राशि प्राप्त की गई है, तो किसके कहने से व किस बात की प्राप्त की गई है। जिस पर श्री कैलाश प्रजापत ने कहा कि मैं इन्हें जानता हूं यह श्री कालूराम बिश्नोई निवासी तापू है। जो कल दिनांक 04.03.2025 को मेरी दूकान पर आये थे तथा मेरे सामने श्री ऋषिकेश मीणा से मिले थे तथा शीट नहीं भरने की एवज में श्री ऋषिकेश मीणा द्वारा राशि मांगकर मुझे देने को कहा था जिस पर कालूराम ने उस वक्त 2000 रूपये अपने पास होने की बात कहकर मुझे देने हेतु कहा मगर मैनें राशि प्राप्त नहीं की थी। आज अभी श्री कालूराम मेरी दुकान पर आया तथा मेरे से श्री ऋषिकेश मीणा के बारे में पूछने पर मैनें श्री ऋषिकेश मीणा अपने किराये के रूम में होने की बात कही जिस पर श्री कालूराम छत पर बने कमरे में ऋषिकेश मीणा के पास गये एवं पीछे-पीछे मैं भी उपर बने कमरे में गया। जहां श्री ऋषिकेश मीणा एवं कालूराम उपस्थित थे। श्री ऋषिकेश मीणा ने कालूराम को शीट नहीं भरने की एवज में 5000 रूपये मुझे देने हेतु कहा तथा साथ ही कहा कि आप दोनों कमरे से बाहर जाकर बात कर लो जिस पर मैं व श्री कालूराम कमरे से बाहर आये जहां पर श्री ऋषिकेश मीणा के द्वारा कही गई राशि 5000 रूपये मैने श्री कालूराम से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिन्स पेंट की बायीं जेब में रखी है। इसी दरम्यान घर में उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों द्वारा चिल्लाने पर भीड़ इक्कठी हो जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से श्री कैलाश प्रजापत के दोनों हाथ कलाई के उपर से उपस्थित जाप्ते से पकड़ाकर यथा स्थिति में वाहन में बिठाकर एवं साथ में श्री ऋषिकेश मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर को भी वाहन में बिठाकर समस्त हमरायान के रवाना होकर पुलिस थाना औसियां पहुंचा जहां पर उपस्थित श्री राजेन्द्र चैधरी, निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी औसियां से अग्रीम कार्यवाही करने की स्वीकृति प्राप्त कर थाने के स्वागत कक्ष में पहुचां एवं आरोपी व सह आरोपी को परिवादी श्री कालूराम से रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पुनः स्पष्टीकरण पूछने पर आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा व सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत द्वारा पूर्व में उपरोक्त बताये गये तथ्य ही स्पष्टीकरण के तौर पर बताये जिस पर परिवादी श्री कालूराम को समस्त हालात पूछने पर श्री कालूराम ने बताया कि मेरी एक ट्यूबवेल सरहद तापू में आई हुई है। जिस पर श्री फेज का कृषि कनेक्शन ले रखा है। मेरे खेत में एक अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर रखा हुआ है। जिसे मैं उपयोग में नहीं लेता हूं। आज से करीब 6-7 दिन पूर्व मेरी ट्यूबवेल पर श्री ऋषिकेश मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर आया एवं अतिरिक्त पड़े ट्रान्सफार्मर का फोटो खींचकर मुझे धमकाया कि आपके मैं शीट भरूगां नहीं तो आपको मुझे खर्ची के 50,000 रूपये देने पड़गें मैनें हाथा-जोड़ी कर राशि कम करने की विनती करने पर पहले 20,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ तत्पश्चात 10,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ। दिनांक 04.03.2025 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन श्री ऋषिकेश मीणा ने मेरे से शीट नहीं भरने की एवज में 5000 रूपये बतौर रिश्वत मांगकर रिश्वती राशि श्री कैलाश प्रजापत को देने के लिए कहा गया था। जिस पर मेरे पास उस वक्त 2000 रूपये ही होने के कारण मैनें श्री कैलाश प्रजापत को ऋषिकेश मीणा के कहेनुसार तय की गई राशि में से 2000 रूपये देने की बात कही मगर श्री कैलाश प्रजापत ने 2000 रूपये प्राप्त नहीं कर पूरे 5000 रूपये की मांग की। आज दिनांक 05.03.2025 को मैं श्री कैलाश प्रजापत से मिला एवं ऋषिकेश मीणा के बारे में पूछने पर उसने अपने मकान की छत पर बने कमरे में श्री ऋषिकेश मीणा उपस्थित होने की बात कही जिस पर मैं उक्त मकान की छत पर बने कमरे में पहुचां एवं श्री ऋषिकेश मीणा से मिलकर शीट नहीं भरने की बात कर ही रहा था इसी दरम्यान मेरे पीछे-पीछे श्री कैलाश प्रजापत भी ऋषिकेश मीणा के कमरे में पहुचां जिस पर ऋषिकेश मीणा ने कैलाश प्रजापत की तरफ ईशारा कर कहा कि आप तय की गई रिश्वती राशि 5000 रूपये श्री कैलाश प्रजापत को दे दो। आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी तथा कहा कि आप कमरे से बाहर जाकर श्री कैलाश प्रजापत से बात कर लो। जिस पर श्री कैलाश प्रजापत मुझे कमरे से बाहर लाकर ऋषिकेश मीणा द्वारा तय की गई रिश्वती राशि 5000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिन्स पेंट की बायीं जेब में रखी है। जिस पर आरोपी ऋषिकेश मीणा सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत को परिवादी के द्वारा बताये गये तथ्यों के बारे में पुनः स्पष्टीकरण पूछने पर दोनों चुप रहकर निरूत्तर रहें। उक्त कार्यवाही की श्री अचलाराम हैड कानि. 67 से उनके मोबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई। तत्पश्चात वाहन से टरेप बाक्स मंगवाकर सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत पुत्र श्री लाभूराम जाति प्रजापत उम्र 18 वर्ष निवासी कंवरजी खेजड़ी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए टरेप बाक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग, रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग, रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे

डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की गई डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुमित सैन, कनिष्ठ सहायक से लिखवाने पर सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत के पहनी हुई जिन्स पेंट की आगे की बायीं जेब में 500-500 रूपये का एक बंडल मिला जिसे गवाह श्री सुमित सैन से गिनवाने पर कुल राशि 5,000/- रूपये होना पाई गई। गवाह श्री विवेक दायमा को पूर्व से मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपुर्द कर पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बर का मिलान उक्त बरामदगी राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। बरामदा रिश्वत राशि के नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित किया गया। उक्त भारतीय मुद्रा 5,000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत की जामा तलाशी में ही उनकी पहनी हुई जिन्स पेंट की दायी जेब में एक काले रंग का रेडमी कम्पनी का मोबाईल फोन मिला। उक्त मोबाईल फोन में एक सिम लगी हुई पाई गई। जिसके मोबाईल नम्बर [redacted] एवं आईएमईआई नम्बर 1. [redacted] 2. [redacted] है। उक्त मोबाईल श्री कैलाश प्रजापत को पुनः सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत के पहनी हुई जिन्स पेंट की आगे की बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने के कारण उनके पहनने के लिए एक अन्य लोवर की व्यवस्था कर पहनी हुई जिन्स पेंट को उतरवाया गया। इसके बाद टरेप बाक्स में से एक नया डिस्पोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार रंगहीन घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी की पहनी पेंट की आगे की बायीं जेब को उल्टाकर दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त गुलाबी रंग के घोल को कांच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों को शील्ड मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उपरोक्त की गई धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 67 के मोबाईल फोन से करवाई गई। उक्त जिन्स पेंट की बायीं जेब को सुखोकर जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर जिन्स पेंट को एक कपड़े की थैली में डालकर कपडे़ की थैली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री घसीड्याराम मीणा जाति मीणा उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम पोस्ट सेकपुरा तहसील सपोटरा पुलिस थाना भुसावर जिला करौली हाल इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता बाप हाल प्रतिनियुक्ति इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर की जामा तलाशी गवाह श्री विवेक दायमा से लिखवाई जाने पर उनकी पहनी हुई पेंट की आगे की दायीं जेब में एक काले रंग का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन मिला। जिसमें एक सिम लगी हुई पाई गई। जिसके मोबाईल नम्बर [redacted] एवं आईएमईआई नम्बर 1. [redacted] 2. [redacted] है, उक्त मोबाईल फोन प्रकरण में वांछित होने के कारण कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिष्वत राषि मुर्तिब की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा हाल इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता एवं सह आरोपी श्री कैलाष प्रजापत द्वारा परिवादी श्री कालूराम से उसके ट्यूबवेल पर रखे अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर की शीट नही भरने की एवज में 5000/- रू0 मांग कर तय की गई रिष्वत राषि 5000/- रू0 श्री ऋशीकेष मीणा द्वारा श्री कैलाश प्रजापत का दिला कर आपराधिक कृत्य किया जाने पर दिनांक 06.03.2025 वक्त 01-00 ए.एम. पर श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री घसीड्याराम मीणा जाति मीणा उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम पोस्ट सेकपुरा तहसील सपोटरा पुलिस थाना भुसावर जिला करौली हाल इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड बाप हाल प्रतिनियुक्ति इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार श्री लाभूराम प्रजापत मकान मालिक को दी गई। वक्त 01-15 एएम पर श्री कैलाष प्रजापत पुत्र श्री लाभूराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 18 वर्ष निवासी कंवरजी की खेजड़ी, बापीणी रोड़ तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार श्री लाभूराम प्रजापत उनके पिता जी को दी गई। वक्त 01-20 एएम गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री ऋशिकेष मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जाखण, बापीणी जिला जोधपुर एवं श्री कैलाश् प्रजापत पुत्र श्री लाभूराम प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 18 वर्ष निवासी कंवरजी की खेजड़ी तापू औसियां जिला जोधपुर को जरिये तहरीर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र औसियां श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस , कानि. गणेष कुमार व श्री कालूराम कानि. के रवाना किया गाया। वक्त 01-50 एएम पर रवाना षुदा श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस बाद मुल्जिमों की स्वास्थ्य परीक्षण करवा उपस्थित आये एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेष की गई जो शामिल रनिंग नोट की गई एवं रात्रि का समय ज्यादा हो जाने के कारण मुल्जिमानों को पुलिस थाना औसियां के स्वागत कक्ष में ही श्री अचलाराम हैड कानि. एवं श्री कालूराम कानि. की निगरानी में सुपुर्द किया गया। वक्त 02-15 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री कालूराम एवं आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड बाप हाल प्रतिनियुक्ति इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिश्ठ अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 04.03.2025 को हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी, जो मन् निरीक्षक पुलिस की अभिरक्षा में है को रूबरू गवाहान व परिवादी के उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वक्त रिष्वती राषि लेन-देन लगे मैमोरी कार्ड को बाहर निकलवाकर मन निरीक्षक पुलिस की अभिरक्षा में रखकर, दिनांक 04.03.2025 को हुई परिवादी कालूराम व आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा के मध्य हुई रिष्वती राषि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को डीवीआर में डालकर, डीवीआर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोड़कर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर शब्द ब शब्द श्री गणेष कुमार कानि. 219 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री कालूराम ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर की होना बताया। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की गणेश् कुमार कानि. 219 से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेप-टॉप में कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप की मदद से तीन पेन ड्राईव में सेव करवाई जाकर डब स्थिति में खुली हालात में रखी गई। कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उक्त मैमोरी कार्ड को मूल मैमोरी कार्ड मानते हुए मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान व परिवादी के मूल मैमोरी कॉर्ड को पैकेट में डलवाकर एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 03-45 ए.एम. पर मन् निरीक्षक द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री कालूराम एवं आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड बाप हाल प्रतिनियुक्ति इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिश्ठ अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर एवं सहआरोपी श्री कैलाष प्रजापत के मध्य दिनांक 05.03.2025 को हुई रूबरू रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। जो डीवीआर से निकालकर मन् निरीक्षक पुलिस की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया था को रूबरू गवाहान व परिवादी के उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लगाकर, डीवीआर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर शब्द ब शब्द श्री गणेश् कुमार कानि. 219 की सहायता से रूबरू वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री कालूराम ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री ऋषिकेश् मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर की एवं तीसरी आवाज सह आरोपी श्री कैलाश् प्रजापत की होना बताया। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की श्री गणेश् कुमार कानि. 219 से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेप-टॉप में कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप की मदद से तीन पेन ड्राईव में सेव करवाई जाकर डब स्थिति में खुली हालात में रखी गई। कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उक्त मैमोरी कार्ड को मूल मैमोरी कार्ड मानते हुए मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान व परिवादी के मूल मैमोरी कॉर्ड को पैकेट में डलवाकर एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 05-45 ए.एम. पर रात्रि का समय होने के कारण घटना स्थल नक्शा मौका बनाया जाना सम्भव नही हैं अतः मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आज सुबह घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया तथा आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता बाप प्रतिनियुक्ति इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जाखण एवं सह आरोपी श्री कैलास प्रजापत को सुरक्षा की दृष्टि से श्री अचलाराम हैड कानि. एवं श्री कालूराम कानि. की अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाकर थाना के स्वागत कक्ष में रखा गया। रोजनामचा आम में रपट दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री सुमित सैन, श्री विवेक दायमा परिवादी श्री कालूराम एवं ब्यूरो जाब्ता मुकिम पुलिस थाना औसिया हुआ। ट्रेप कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे गये। वक्त 09-15 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सहआरोपी के दोनों हाथो के लिये गये धोवनों की

शील्ड सुदा शिशिया, सहआरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की साईड की बायीं जेब के लिये गये धोवन की शिल्ड शीशीयां एवं जिन्स पेन्ट का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट, उक्त वार्तालाप का डब मैमोरी कार्ड, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बॉक्स एवं को एवं गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री कैलाश् प्रजापत को श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस को संभलाया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री कालूराम बिश्नोई, मुल्जिम श्री ऋषिकेश मीणा, इन्जीनियर सुपरवाईजर कंवर जी की खेजड़ी तापू श्री ऋषिकेश मीणा के रहवासिय मकान का नक्शा मौका तैयार व खाना तलाशी करने हेतु रवाना हुआ। वक्त 10-00 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान के जरिये निजी वाहन के उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा गाव तापु कंवरजी की खेजड़ी में आरोपी के किराये के मकान पहुंचकर दोनो स्वतंत्र गवाहान का मौजुदगी में परिवादी श्री कालूराम की निशादेही में फर्द घटनास्थल नक्शा मौका निरीक्षण किया जाकर फर्द घटनास्थल मौका मुर्तिब किया गया। वक्त 11-00 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस रूबरू मौतबिरान एवं आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा की उपस्थिति में आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा के रहवासिय कमरे की खाना तलाशी ली गई। खाना तलाशी में विभागीय पत्रावलिया आदि मिले साथ ही एक पर्स मिला जिसमें 500-500 रूपये के 11 नोट कुल राशि 5500 रूपये मिले जिसके बारे में श्री ऋषिकेश मीणा के बारे में पूछने पर बताया कि उक्त पैसे मेरी तनख्वाह के है, जो मैनें मकान किराये देने के लिए साथ लाया था। आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा का जवाब संतोषप्रद होने के कारण उक्त राषि 5500 रूपये आरोपी के कहेनुसार मकान मालिक श्री लाभूराम को सुपुर्द की गई। वक्त 12-05 पीएम पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान एवं गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री ऋषिकेश मीणा के श्री लाभूराम प्रजापत के निवास कंवरजी का खेजड़ी तापू से रवाना होकर पुलिस थाना औसियां पहुचा एवं श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किये प्रकरण के प्रादर्ष एवं गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री कैलाश् प्रजापत को मन निरीक्षक पुलिस के हवाले लिया गया। वक्त 01-52 पीएम पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस एवं गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री ऋषिकेश मीणा, व श्री केलाश प्रजापत मय समस्त हमरायान प्रकरण में लिये गये प्रादर्ष एवं बरामदा रिश्वती राशि के रवाना चौकी एसीअ्ी एसयू जोधपुर के लिए रवाना हुआ। वक्त 03-30 पीएम पर मन् मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस स्वतंत मौतबिरान एवं समस्त हमरायान एवं प्रकरण जप्तशुदा प्रादश सह आरोपी श्री कैलाश् प्रजापत के दोनों हाथो एवं उनके पहनी हुई जिन्स पेन्ट के साईड की बायीं जेब से लिये गये धोवश् की क्रमषः शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट एवं सहआरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 5,000/-रुपये एवं दिनांक 04.03.2025 को परिवादी श्री कालूराम एवं आरोपी श्री ऋशिकेष मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर के मध्य दिनांक 04.03.2025 को हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का तीन डब पेन ड्राईव, दिनांक 05.03.2025 को परिवादी श्री कालूराम एवं आरोपी आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा इन्जीनियर सुपरवाईजर व सहआरोपी श्री कैलाश् प्रजापत के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का तीन डब मे पेन ड्राईव खुली हालात मे मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुरक्षित हालात में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री घसिडीयाराम मीणा जाति मीणा उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम पोस्ट शेखपुरा तहसील सपोटरा पुलिस थाना भुसावर जिला करौली जिला जोधपुर हाल इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता बाप प्रतिनियुक्ति इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ट अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 04.03.2025 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री कालूराम के ट्युबवैल पर पडे़ अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर की नही शीट भरने की एवज में में 5,000/-रूपये रिश्वत के रूप में मांग करना तथा दिनांक 05.03.2025 को वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा द्वारा कंवरजी की खेजड़ी बापीणी रोड़ स्थित अपने किराये के कमरे में परिवादी श्री कालूराम रिश्वती राशि 5,000/-रूपये अपने किराये के मकान मालिक श्री लाभूराम के पुत्र श्री कैलाश् प्रजापत देने का कहना तथा पास ही खड़े श्री कैलाष प्रजापत द्वारा परिवादी श्री कालूराम से रिश्वती राशि 5,000/-रुपये प्राप्त करना एवं रिश्वती राशि सह आरोपी श्री कैलाश् प्रजापत के पहनी हुई जिन्स पेन्ट के साईड की बायीं जेब से रूबरू मौतबिरान बरामद होना आरोपीगण का उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7, 7ए एवं धारा 61 बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत पुत्र श्री लाभूराम उम्र 18 वर्श जाति प्रजापत निवासी गांव पैशा अध्ययन निवासी कंवरजी की खेजड़ी तापू तहसील औसिया जिला जोधपुर के दोनो हाथों के अंगूलियों/अंगुष्ठ के लिये गये धोवनो का रंग क्रमशः गुलाबी आना, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की साईड की बायीं जेब का लिया गया धोवन गुलाबी आना पाया गया। इस तरह आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री घसीड्याराम जाति मीणा उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम पोस्ट सेकपुरा तहसील सपोटरा पुलिस थाना भुसावर जिला करौली जिला जोधपुर हाल इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता बाप प्रतिनियुक्ति इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जाखण बापीणी जिला जोधपुर एवं सह आरोपी श्री कैलाश् प्रजापत पुत्र श्री लाभूराम उम्र 18 वर्श जाति प्रजापत निवासी गांव पेशा अध्ययन निवासी कंवरजी की खेजड़ी तापू तहसील औसिया जिला

जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 बीएनएस 2023 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। भवदीय, (मनीष चौधरी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष चौधरी , पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एसयू जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 बीएनएस 2023 में आरोपीगण (1.) श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री घसिडीयाराम मीणा जाति मीणा उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम पोस्ट शेखपुरा तहसील सपोटरा पुलिस थाना भुसावर जिला करौली, इन्जीनियर सुपरवाईजर कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड बाप जिला फलोदी हाल प्रतिनियुक्ति इन्जीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जाखण, बापीणी जिला जोधपुर एवं (2) श्री कैलाश प्रजापत पुत्र श्री लाभूराम जाति प्रजापत उम्र 18 वर्ष पेशा अध्ययन निवासी कंवरजी की खेजड़ी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री किशन सिंह चारण, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर शहर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 81 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।क्रमांक 280-83 दिनांक 07.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 3.सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्काम, जोधपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KISHAN SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/03/2025 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/12/1980				
2	Male	2007				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)